

सारणी संबंधी टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- (1) वार्षिक आंकड़े माहों के औसत हैं ।
- (2) आंकड़े माह / वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं ।
- (3) निर्गम और बैंकिंग विभागों में रखी गई रुपया प्रतिभूतियों का जोड़ ।
- (4) केवल ऋण और अग्रिम से संबंधित हैं ।
- (5) आंकड़े अंतिम शुक्रवार / रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार (मार्च के मामले में) से संबंधित हैं ।
- (6) केवल मुंबई, चेन्नै, कोलकाता और नई दिल्ली संबंधी जोड़ ।
- (7) आंकड़े रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार / 31 मार्च से संबंधित हैं ।
- (8) दर्शाई गई निम्न/उच्च दरें संबंधित अवधि की हैं । बुलेटिन के अप्रैल 2000 अंक से पहले के आंकड़ों का स्रोत भारतीय मितिकाटा और वित्तगृह लि. रहा है। अप्रैल 2000 के अंक से बुलेटिन के आंकड़े मांग मुद्रा कारोबार के व्यापक क्षेत्र के कारण पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़ों से पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं ।
- (9) प्रमुख बैंकों से संबंधित ।
- (10) 5 प्रमुख बैंकों से संबंधित । मूल उधार दर संकल्पना अक्टूबर 1994 से लागू की गई थी ।
- (11) मासिक आंकड़े सप्ताहों के औसत और वार्षिक आंकड़े माहों के औसत हैं ।
- (12) आंकड़े माह/वर्ष की समाप्ति से संबंधित हैं ।
- (13) आंकड़े जनवरी-दिसंबर से संबंधित हैं ।
- (14) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नकदी आरक्षित अनुपात (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) ।

सारणी सं. 2

निर्गम विभाग के स्वर्ण रिजर्व का मूल्य 16 अक्टूबर 1990 तक प्रति 10 ग्राम 84.39 रुपए की दर से निर्धारित था और 17 अक्टूबर 1990 से उसका मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य पर निर्धारित किया गया है ।

- (1) जुलाई 1940 से जारी किए गए भारत सरकार के एक रुपया के नोट इसमें शामिल हैं ।
- (2) इसमें निम्नलिखित शामिल हैं : (i) 5 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी, (ii) 6,500 करोड़ रुपए की आरक्षित निधि (iii) 16 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, तथा (iv) 30 नवंबर 2007 को समाप्त सप्ताह से 190 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि ।
- (3) नकदी, अल्पावधि प्रतिभूतियाँ तथा मीयादी जमाराशियां शामिल हैं। इसमें आइआइएफसी (यूके) द्वारा 20 मार्च 2009 से जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांड में निवेश भी शामिल है।
- (4) राज्य सरकारों को दिए गए अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं ।
- (5) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अन्य आस्तियों के अंतर्गत रखे गए सोने के मूल्य के द्योतक हैं ।

सारणी सं. 3 और 4

“बैंकिंग प्रणाली” अथवा “बैंक” अभिव्यक्ति से (क) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक (ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड ‘ग’ में यथापरिभाषित बैंकिंग कंपनियाँ, (घ) सहकारी बैंक (जहां तक अनुसूचित सहकारी बैंकों का संबंध है) (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और (च) इस बारे में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य वित्तीय संस्था अभिप्रेत है ।

- (1) राज्य सरकार से किसी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के उधार और किसी सहकारी समिति द्वारा ऐसे बैंक के कार्यक्षेत्र के भीतर ऐसे बैंक के पास रखी जानेवाली अपेक्षित किसी आरक्षित निधि जमा को छोड़कर ।
- (2) इस मद में अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के पास रखी गई सहकारी बैंकों की जमाराशि शामिल नहीं है, परंतु उसे ‘कुल जमाराशि’ में शामिल किया गया है ।

- (3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधार शामिल नहीं हैं ।
- (4) जहां कहीं 'बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं' मद में 'अन्य मांग और मीयादी देयताओं' के अंतर्गत अलग से आंकड़े देना संभव नहीं है, वहां उन्हें 'अन्य के प्रति देयताएं' के अंतर्गत 'अन्य मांग और मीयादी देयताएं' में शामिल किया गया है ।
- (5) आंकड़े 29 दिसंबर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट के प्रतिदान को दर्शाते हैं।
- (6) भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय निर्यात-आयात बैंक से इतर ।
- (7) भारत में अनुसूचित बैंकों के उधार से संबंधित आंकड़े वही हैं जिन्हें रिज़र्व बैंक के स्थिति विवरण में दिखाया गया है। मीयादी बिल और/अथवा वचन-पत्रों पर उधार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4) के अधीन लिए गए हैं ।
- (8) इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4 कक) के अधीन अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा लिए गए उधार शामिल हैं ।
- (9) भारतीय रिज़र्व बैंक के स्थिति विवरण के अनुसार ।
- (10) इस मद में सहकारी बैंकों को अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम शामिल नहीं हैं, बल्कि वे "ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट" में शामिल किए गए हैं ।
- (11) बही मूल्य पर; इनमें खजाना बिल और खजाना प्राप्तियां, खजाना बचत प्रमाणपत्र और डाकखाने संबंधी देयताएं शामिल हैं ।
- (12) इसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए सहभागिता प्रमाण-पत्र शामिल हैं ।
- (13) इसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अन्य को जारी किए गए सहभागिता प्रमाण-पत्र शामिल हैं ।
- (14) कोष्ठकों के आंकड़े खाद्यान्न की सरकारी खरीद के वित्तपोषण के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिमों से संबंधित हैं ।

सारणी सं. 6

- (1) "अन्य" से मांग और मीयादी जमाशियों का जोड़ ।
- (2) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए उधार शामिल हैं ।
- (3) बही मूल्य पर; उसमें खजाना बिल, खजाना प्राप्तियां, खजाना बचत प्रमाण पत्र और डाक संबंधी देयताएं शामिल हैं ।
- (4) 'ऋण, नकदी ऋण और ओवर ड्राफ्ट' तथा 'खरीदे और भुनाए गए बिलों' का जोड़ ।
- (5) इसमें मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी बैंकों को अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम शामिल हैं ।

सारणी सं. 7

शताब्दी की तारीख में परिवर्तन के संदर्भ में चलनिधि के लिए किसी अप्रत्याशित अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए बैंकों को समर्थ बनाने की दृष्टि से 1 दिसंबर 1999 से 31 जनवरी 2000 तक की अस्थायी अवधि के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) "विशेष चलनिधि सहायता" सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

- (1) 13 अप्रैल 1996 से बैंकों को रुपया निर्यात ऋण तथा अमरीकी डॉलर में मूल्यवर्गीकृत पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण को मिलाकर निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जा रही है।
- (2) 21 अप्रैल 1999 से प्रभावी सामान्य पुनर्वित्त सुविधा के स्थान पर संपार्श्विक ऋण सुविधा (सीएलएफ) / अतिरिक्त संपार्श्विक ऋण सुविधा (एसीएलएफ) को लाया गया है। 05 जून 2000 से चलनिधि समायोजन सुविधा प्रारंभ की गई थी और एसीएलएफ को समाप्त कर दिया गया है । 5 अक्टूबर 2002 से सीएलएफ पूर्णतः समाप्त कर दी गई।
- (3) 17 सितंबर 1998 से प्रारंभ की गई विशेष चलनिधि सहायता सुविधा 31 मार्च 1999 तक उपलब्ध थी ।

(4) अमरीकी डॉलर में मूल्यवर्गीकृत पोटलदानोत्तर ऋण (पी एस सी एफ सी) योजना 8 फरवरी 1996 से समाप्त कर दी गई और उस पर दी जानेवाली पुनर्वित्त सुविधा 13 अप्रैल 1996 से समाप्त कर दी गई। सरकारी प्रतिभूति पुनर्वित्त योजना 6 जुलाई 1996 से समाप्त कर दी गई।

सारणी सं. 8

- (क) आंकड़े में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों और अन्य बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों दोनों के चेक समाशोधन शामिल हैं। कागज आधारित अंतर बैंक समाशोधन प्रक्रिया सभी केंद्रों में पिछले जून 2005 से समाप्त कर दी गई है। अन्य एमआइसीआर केंद्र हैं, आगरा, इलाहाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बड़ौदा, बेलगाम, भीलवाड़ा, कोयम्बतूर, कटक, देहरादून, एर्नाकुलम, ईरोड, गोरखपुर, ग्वालियर, हुबली, इंदौर, जबलपुर, जालंधर, जमशेदपुर, जम्मू, जोधपुर, कोल्हापुर, कोझीकोड, कोटा, लखनऊ, लुधियाना, मदुराई, मंगलूर, मैसूर, नासिक, पणजी, पांडिचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांची, सालेम, सोलापुर, सूरत, तिरुचिरापल्ली, तिरुपुर, त्रिशुर, तिरुनेलवेली, उदयपुर, वाराणसी, विजयवाड़ा एवं विशाखापट्टनम।
- (ख) ग्राफ : पेपर और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर ग्राफ 3 और 4 में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के आंकड़ों में खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां, आरटीजीएस (ग्राहक तथा अंतर-बैंक) और सीसीआइएल द्वारा चालित प्रणालियां शामिल हैं।
- (ग) गैर - एमआइसीआर आंकड़े 10 बैंकों नामतः एसबीआइ (713), एसबीबीजे (69), एसबी इंदौर (27), पीएनबी (8), एसबीटी (69), एसबीपी (63), एसबीएच (50), एसबीएम (45), जम्मू और कश्मीर (1) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (6) द्वारा संचालित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं। (कोष्ठकों के आंकड़े बैंकों द्वारा संचालित गैर-एमआइसीआर समाशोधन गृहों की संख्याएं हैं)।
- (घ) अन्य एमआइसीआर केंद्रों में 13 सरकारी क्षेत्र के बैंकों, नामतः आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नैशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित 47 केंद्र शामिल हैं।

सारणी सं. 9 अ

आंकड़े खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से संबंधित हैं।

सारणी सं. 9 आ

आंकड़े उच्च मूल्य भुगतान प्रणाली से संबंधित हैं। चुनिंदा सेवाओं से संबंधित परिचालनों के सीसीआइएल के आंकड़े सीसीआइएल प्रकाशित आंकड़ों से लिए गए हैं।

सारणी सं. 10

- (क) संशोधित श्रृंखला के अनुसार मुद्रा स्टॉक मान के ब्योरे के लिए इस बुलेटिन का जनवरी 1977 का अंक (पृष्ठ सं. 70-134) देखें।
- (ख) बैंकों में वाणिज्य और सहकारी बैंक शामिल हैं।
- (ग) वित्त वर्ष के आंकड़े 31 मार्च से संबंधित हैं, किन्तु अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं। ब्योरे के लिए इस बुलेटिन के अक्टूबर 1991 के अंक के पृष्ठ सं. 963 पर टिप्पणी देखें।
- (घ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियां 1 अक्टू. 2003 से रिसर्जेंट इंडिया बांड का और 29 दिसंबर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट का प्रतिदान दर्शाती हैं।
- (ङ) आंकड़े अनंतिम हैं।
- (1) अप्रैल 1985 तक पाकिस्तान से लगभग 43 करोड़ रुपए के भारतीय नोटों की निवल वापसी।
 - (2) अनुमानित: रुपया सिक्कों के अंतर्गत अक्टूबर 1969 से जारी किए गए दस रुपए के स्मारक सिक्के, नवंबर 1982 से जारी किए गए दो रुपए के सिक्के और नवंबर 1985 से जारी किए गए पांच रुपए के सिक्के शामिल हैं।

- (3) इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष खाता सं. 1, भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान तथा अधिवर्षिता निधि, सहकारी गारंटी निधि के शेष तथा अतिरिक्त परिलब्धि (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 और अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) अधिनियम के अंतर्गत वसूल की गई राशि शामिल नहीं है।
- (च) नए लेखांकन मानदंडों तथा संकलन-पद्धति (जून 1998) के अनुरूप संशोधित। यह संशोधन वाणिज्य बैंकों में स्थित पेंशन और भविष्य निधि के संबंध में है, जिन्हें अन्य मांग और मीयादी देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनमें उन बैंकों को शामिल किया गया है, जिन्होंने अब तक इस प्रकार के परिवर्तनों की सूचना दी है।

सारणी सं. 11 तथा 13

- (क) 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना हो जाने पर रिजर्व बैंक की कुछ आस्तियाँ और देयताएं नाबार्ड को अंतरित कर दी गईं। अतः, इस तारीख से मुद्रा स्टॉक के कुल स्रोतों में कुछ पुनर्वर्गीकरण की आवश्यकता समझी गई।
- (ख) सारणी 10 की टिप्पणी की मद (ग) देखें।
- (ग) आंकड़े अनंतिम हैं।
- (1) इसमें विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं और इसमें 11 दिसंबर 1992 से कोटा वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की आरक्षित आस्तियों में अभिदान के कारण वहन की गई 751.64 करोड़ रुपए (211.95 मिलियन वि. आ. अधि. के बराबर) की राशि भी शामिल है।
 - (2) आंकड़े वित्तीय संस्थाओं के बांड/शेयरों में निवेश, उन्हें दिए गए ऋण तथा खरीदे और भुनाए गए आंतरिक बिल की धारिता के हैं। नाबार्ड की स्थापना से बैंकों को इसके पुनर्वित्त इसमें शामिल नहीं हैं।
 - (3) इसमें स्वर्ण के पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप हुई वृद्धि शामिल है, जो 17 अक्टूबर 1990 को लागू अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य के बराबर इसका पुनर्मूल्यन किए जाने के बाद किया गया। इस वृद्धि का तदनुसूची प्रभाव रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताओं पर पड़ा है।

सारणी सं. 11 अ :

वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण के संकलन का संकल्पनात्मक आधार मुद्रा आपूर्ति : विश्लेषण एवं संकलन पद्धति पर कार्यकारी दल (अध्यक्ष : डॉ. वाइ.वी. रेड्डी) की रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, जुलाई 1998 अंक में उपलब्ध है जिसमें वाणिज्य बैंकों की रिपोर्टिंग प्रणाली में परिवर्तन की सिफारिश है और 'नए मौद्रिक समुच्चय : एक परिचय' नामक लेख भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, अक्टूबर 1999 में है।

- (1) निवासियों की मीयादी जमा राशि : इसमें अनिवासी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा में सावधि जमा राशियां (जैसे एफसीएनआर(बी) और रिसर्जेंट इंडिया बांड (आरआइबी) तथा इंडिया मिलेनियम जमा राशियों (आइएमडी) को निवासी मानदंडों के आधार पर गणना नहीं करनी है और बैंकों के पेंशन और भविष्य निधि को शामिल नहीं करना है, क्योंकि वे अन्य देयताओं के रूप में मानी गई हैं तथा उसे 'अन्य मांग और मीयादी देयताओं' के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- (2) अल्पावधि मीयादी जमा राशि : एक वर्ष तक और एक वर्ष की संविदागत मीयाद वाली आवधिक जमा राशियां हैं। फिलहाल ये कुल देशी मीयादी जमा राशियों का 45.0 प्रतिशत होनी अनुमानित हैं।
- (3) देशी ऋण : इसमें गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात वाली प्रतिभूतियाँ, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र, शेयर और बांड में बैंकों के निवेश शामिल हैं तथा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं परंपरागत बैंक ऋण में (ऋण, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा खरीदे और भुनाए गए बिलों के रूप में) किए गए निवेश के अलावा मांग / मीयादी मुद्रा बाजार में प्राथमिक व्यापारियों को दिए गए निवल उधार शामिल हैं।

- (4) वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां : अनिवासियों की विदेशी मुद्रा देयताएं घटाकर उनकी सकल विदेशी मुद्रा आस्तियां दर्शाती हैं ।
- (5) पूंजी खाता : इसमें चुकता पूंजी और रिजर्व शामिल हैं ।
- (6) अन्य मदें (निवल): वाणिज्य बैंकिंग सर्वेक्षण के घटक और स्रोत के शेष हैं जिसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अन्य मांग और मीयादी देयताएं, निवल शाखा समायोजन, निवल अंतर-बैंक देयताएं आदि शामिल हैं ।

सारणी सं. 11 आ

नए मौद्रिक समुच्चय के संकलन का संकल्पनात्मक आधार मुद्रा आपूर्ति : विश्लेषण एवं संकलन पद्धति पर कार्यकारी दल (अध्यक्ष : डॉ. वाइ.वी. रेड्डी) की रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, जुलाई 1998 अंक में उपलब्ध है । पुरानी और वर्तमान मौद्रिक शृंखलाओं के बीच एक संपर्क शृंखला भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, अक्टूबर 1999 में 'नए मौद्रिक समुच्चय : एक परिचय' नामक लेख में प्रकाशित की गई है।

- (1) एनएम₂ और एनएम₃ : निवासी अवधारणा पर आधारित है और इसलिए इसे प्रत्यक्षतः एफसीएनआर(बी) जमाराशियों, रिसर्जेंट इंडिया बांड व आइएमडी के रूप में अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय सावधि जमाराशि के रूप में नहीं गिना जाता ।
- (2) एनएम₂ : इसमें वाणिज्य बैंकों के एम₁ और निवासियों की अल्पावधि मीयादी जमाराशि (एक वर्ष और एक वर्ष तक की संविदागत मीयादी जमाराशि सहित) शामिल है ।
- (3) देशी ऋण : बैंक ऋण की नई परिभाषा के अनुसार इसमें बैंकों के निवेश में गैर सांविधिक चलनिधि अनुपातवाली प्रतिभूतियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र, शेयर और बांड एवं मांग / मीयादी मुद्रा बाजार में प्राथमिक व्यापारियों को निवल उधार शामिल है। वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण में नाबार्ड को भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण और अग्रिम शामिल किए जाएंगे । अन्य घटक जैसे सरकार को ऋण, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश और परंपरागत बैंक ऋण यथावत् हैं ।
- (4) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियां : इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियां और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां शामिल हैं (सारणी 11 अ की टिप्पणी 4 देखें) ।
- (5) पूंजी खाता : इसमें चुकता पूंजी और रिजर्व शामिल हैं ।
- (6) बैंकिंग प्रणाली की अन्य मदें (निवल) - ये मुद्रा स्टॉक के घटक और स्रोत के इतर अवशिष्ट हैं, जो बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताओं आदि के द्योतक हैं।

सारणी सं. 11 इ :

रिजर्व बैंक सर्वेक्षण के संकलन का संकल्पनात्मक आधार मुद्रा आपूर्ति : विश्लेषण एवं संकलन पद्धति पर कार्यकारी दल (अध्यक्ष: डॉ. वाइ.वी. रेड्डी) की रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, जुलाई 1998 अंक में तथा रिजर्व बैंक बुलेटिन, अक्टूबर 1999 में 'नए मौद्रिक समुच्चय: एक परिचय' शीर्षक लेख में उपलब्ध है। आरक्षित मुद्रा के घटक (एम₀ के रूप में उल्लिखित) यथावत् हैं । स्रोतों के बारे में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को भारतीय रिजर्व बैंक का पुनर्वित्त, जो अब तक बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक के दावे का एक भाग हुआ करता था, वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की निवल गैर मौद्रिक देयताओं को पूंजी खाता (पूंजी और रिजर्व सहित) और अन्य मद (निवल) में वर्गीकृत किया गया है।

सारणी सं. 12

सारणी 10 की टिप्पणियों की मद (ग) देखें ।

सारणी सं. 26 इ

- (क) चुनिंदा माह के अंतिम दिन के दौरान प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों पर एसजीएल लेनदेनों के आंकड़ों से निकाली गई चुनिंदा सांकेतिक प्रतिभूतियों की भारित औसत आय पर इंटरपोलेशन तकनीक का प्रयोग करते हुए विभिन्न पूर्णांकित मूल्यवाली अवशिष्ट परिपक्वताओं के लिए माह के अंत में आय के अनुमान लगाए गए हैं। किसी प्रतिभूति में प्रत्येक लेनदेन की तदनु रूप आय की गणना निम्नलिखित परिपक्वता आय और मूल्य संबंध के आधार पर की गई है।

$$P + bpi = \sum_{i=1}^n \frac{c/v}{(1+y/v)^{t_i}} + \frac{F}{(1+y/v)^{t_n}}$$

जहाँ

P = बांड मूल्य

bpi = खंडित अवधि के ब्याज

c = वार्षिक कूपन भुगतान

y = परिपक्वता प्रतिफल

v = वर्ष के दौरान कूपन भुगतानों की संख्या

n = परिपक्वता तक कूपन भुगतानों की संख्या

F = बांड का परिशोधन भुगतान

t_i = iवां कूपन भुगतान तक वर्ष में लिया गया समय

- (ख) प्रत्येक बेची-खरीदी गई प्रतिभूतियों की तदनु रूप भारित औसत आय की गणना उस विशेष दिन को भार के रूप में कारोबार में प्रयुक्त राशिवाली (अंकित-मूल्य) प्रतिभूतियों पर सभी लेन-देनों से प्राप्त आय से निकाली गई है।
- (ग) खंडित अवधि (दिनों की संख्या) माह के 30 दिन और वर्ष के 360 दिनों की परंपरा पर आधारित है।

सारणी सं. 28 और 29

सारणी 28 औद्योगिक उत्पादन (क्षेत्रवार और उपयोग आधारित वर्गीकरण) के सूचकांक प्रस्तुत करती है। खनन क्षेत्र के सूचकांक में संशोधन तथा साथ ही रेडियो रिसेवर, फोटोसेन्सिटाइज्ड पेपर, एचसीवी (बस, ट्रक) के चेसिस (एसेम्ब्ली) और विनिर्माण क्षेत्र की मदों के समूह से इंजिनों जैसी चार मदों को हटाने के कारण 1994-95 से आइआइपी आंकड़ों को संशोधित किया गया है। इसका परिणाम आइआइपी के उपयोग आधारित वर्गीकरण में भारांकों के पुनः वितरण में भी देखा गया। सारणी 29 में विनिर्माण क्षेत्र पर आंकड़े सामान्य सूचकांक और क्षेत्रीय सूचकांक अर्थात् खनन और उत्खनन, विनिर्माण और बिजली सहित 17 समूहों के दो अंकीय स्तर पर हैं।

सारणी सं. 30

- (क) आंकड़ों में निजी स्थानन तथा बिक्री के लिए प्रस्ताव संबंधी आंकड़े शामिल नहीं हैं, परंतु निजी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाई गई राशि शामिल है।
- (ख) इक्विटी शेयर में बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।
- (ग) अधिमान शेयरों में संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर तथा अधिमान समतुल्य शेयर शामिल हैं।
- (घ) डिबेंचर में बांड शामिल हैं।
- (ङ) परिवर्तनीय डिबेंचर में अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर शामिल हैं।
- (च) अपरिवर्तनीय डिबेंचर में जमानती प्रीमियम नोट और जमानती डीप डिस्काउंट बांड शामिल हैं।
- (छ) कोष्ठकों के आंकड़े पूंजी निर्गम पर प्रीमियम के आंकड़े हैं जो संबंधित जोड़ में शामिल हैं।

सारणी सं. 34

सोने और चांदी के वायदा व्यापार पर क्रमशः दिनांक 14 नवंबर 1962 और 10 जनवरी 1963 से लागू प्रतिबंध को 1 अप्रैल 2003 से हटा लिया गया है।

- (1) यदि शुक्रवार छुट्टी का दिन हुआ, तो ये मूल्य उसके पहले के कार्य-दिवस से संबंधित हैं।

सारणी सं. 35

वार्षिक आंकड़े अप्रैल से मार्च तक के माहों के औसत से संबंधित हैं।

- (1) 2001 = 100 को आधार मानकर सूचकांक की नई श्रृंखला जनवरी 2006 से लागू की गई है और इसके साथ ही 1982 को आधार वर्ष मानकर सूचकांक का संकलन बंद कर दिया गया है। जनवरी 2006 और बाद के महीनों से आंकड़ों के लिए आधार वर्ष 2001 का सूचकांक निकालने के लिए योजक तत्व का प्रयोग किया जा सकता है।
- (2) 78 केंद्रों के सूचकांक पर आधारित।

सारणी सं. 36

वार्षिक आंकड़े अप्रैल से मार्च तक के माहों के औसत से संबंधित हैं। 1984-85 = 100 पर आधारित सूचकांकों की नई श्रृंखला नवंबर 1987 से प्रारंभ की गई है।

- (1) 59 केंद्रों के सूचकांक पर आधारित।

सारणी सं. 37

वार्षिक आंकड़े जुलाई-जून माह के औसत के रूप में हैं।

- (1) जुलाई 1960 - जून 1961 = 100 को आधार के रूप में लिया गया है।
- (2) जुलाई 1986 से जून 1987 = 100 की आधारवाली नई सूचकांक श्रृंखला नवंबर 1995 से शुरू की गई तथा जुलाई 1960 से जून 1961 के आधारवाले सूचकांक का संकलन बंद कर दिया गया। इस कालम में दिए गए योजक तत्वों का प्रयोग नवंबर 1995 तथा बाद के महीने के लिए पुराने आधार (अर्थात् 1960-61 = 100) वाले सूचकांकों को निकालने के लिए किया जा सकता है।
- (3) असम के मामले में, पुरानी श्रृंखला (अर्थात् 1960-61 = 100 के आधार के साथ) संयुक्त क्षेत्र अर्थात्, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए संकलित की जा रही थी, जबकि नई श्रृंखला (अर्थात्, 1986-87 = 100 के आधार के साथ) इस संयुक्त क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग संकलित की गई है। पुराने आधार पर असम क्षेत्र के लिए सूचकांक का अनुमान निम्नलिखित नई श्रृंखला के तदनुसूची सूचकांकों से किया जा सकता है :

$$I_{\text{असम}}^{\text{असम}} = 5.89 [(0.8126 \times I_{\text{असम}}^{\text{असम}}) + (0.0491 \times I_{\text{असम}}^{\text{असम}}) + (0.0645 \times I_{\text{असम}}^{\text{असम}}) + (0.0738 \times I_{\text{असम}}^{\text{असम}})]$$

$I_{\text{असम}}^{\text{असम}}$ तथा $I_{\text{असम}}^{\text{असम}}$ क्रमशः पुरानी और नई श्रृंखलाओं के सूचकांक के द्योतक हैं तथा ऊर्ध्व नाम अ, म, मे तथा त्रि क्रमशः असम, मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा के द्योतक हैं।

- (4) इसी प्रकार, जहाँ पुरानी श्रृंखला (अर्थात् 1960-61 = 100 के आधार पर) संयुक्त क्षेत्र अर्थात् पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए संकलित की जा रही थी, वहीं पंजाब क्षेत्र के लिए पुराने आधार पर सूचकांक का अनुमान निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है :

$$I_{\text{पंजाब}}^{\text{पंजाब}} = 6.36 [(0.6123 \times I_{\text{पंजाब}}^{\text{पंजाब}}) + (0.3677 \times I_{\text{पंजाब}}^{\text{पंजाब}}) + (0.0200 \times I_{\text{पंजाब}}^{\text{पंजाब}})]$$

$I_{\text{पंजाब}}^{\text{पंजाब}}$ तथा $I_{\text{पंजाब}}^{\text{पंजाब}}$ क्रमशः पुरानी और नई श्रृंखला के द्योतक हैं और ऊर्ध्व नाम प, ह, हि क्रमशः पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के द्योतक हैं।

- (5) राज्य के लिए सूचकांकों का संकलन सर्वप्रथम नवंबर 1995 में किया गया।

- (6) ग्रामीण श्रमिक (कृषि श्रमिक सहित) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन नवंबर 1995 से ही किया जा रहा है ।
- (7) 8 माह (नवंबर 1995 से जून 1996) का औसत ।

सारणी सं. 38

अप्रैल 2009 में 1993-34=100 आधार के साथ सूचकांक की नयी श्रृंखला प्रारंभ की गयी थी। नयी श्रृंखला के क्षेत्र एवं व्यापित के ब्यौरे बुलेटिन के जून 2000 अंक में प्रकाशित किए गए हैं ।

भारत सरकार की आर्थिक कार्यों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की 19 अक्टूबर 2009 की प्रेस प्रकाशनी के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक के साप्ताहिक प्रकाशन में केवल 'प्राथमिक वस्तुएं' तथा 'ईंधन, ऊर्जा, बिजली तथा लुब्रिकेंट' समूहों के आंकड़े शामिल होंगे । अब से 'सभी पण्य' तथा 'विनिर्मित उत्पाद' के थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े केवल मासिक आधार पर प्रकाशित किए जाएंगे । चूंकि 'सभी पण्य' तथा 'विनिर्मित उत्पाद' के साप्ताहिक आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे, अतः अगस्त 2009 से मासिक औसत आंकड़ों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा । बुलेटिन में जुलाई 2009 तक प्रकाशित मासिक आंकड़े साप्ताहिक आंकड़ों के औसत हैं तथा अगस्त 2009 तथा आगे के आंकड़े मासिक आधार पर हैं ।

सारणी सं. 39

- (क) विदेशी व्यापार संबंधी आंकड़े निजी और सरकारी खाते में समुद्री, वायु और सड़क मार्ग से हुए कुल व्यापार से संबंधित हैं । निर्यात एफ.ओ.बी. आधार पर तथा आयात सी.आइ.एफ. आधार पर हैं। निर्यात में भारत को पहले आयात किए गए विदेशी व्यापारिक माल का पुनर्निर्यात शामिल है तथा आयात विदेशी व्यापारिक माल, चाहे वह गृह उपयोग, बंधक अथवा पुनर्निर्यात के लिए हो, से संबंधित है। प्रत्यक्ष मार्गस्थ व्यापार, पोतांतरण व्यापार, यात्रियों के सामान, पोत भंडार, रक्षा वस्तुएं तथा कोषागार अर्थात्, स्वर्ण, चालू सिक्के तथा नोट में लेनदेन, राजनयिक वस्तुएं, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत "अभिनिषिद्ध वस्तुएं" व्यापार आंकड़ों में शामिल नहीं हैं, जबकि अप्रत्यक्ष मार्गस्थ व्यापार, चांदी (चालू सिक्के से इतर) तथा अभी तक जारी न किए गए अथवा परिचालन से निकाले गए नोट व सिक्के में लेनदेन शामिल हैं।

सारणी सं. 40 तथा 41

- (1) 1980-81 तक के आंकड़े अंतिम हैं, उसके बाद के आंकड़े प्रारंभिक वास्तविक हैं।
- (2) वर्ष में उपचित और अनिवासी भारतीय जमाराशि खाते में जमा किए गए ब्याज को अदृश्य भुगतान के अंतर्गत सांकेतिक बहिर्गमन माना गया है तथा उसे बैंकिंग पूंजी-अनिवासी जमा के अंतर्गत अनिवासी भारतीय जमाराशि में पुनर्निवेश के रूप में जोड़ा गया है ।
- (3) भुगतान संतुलन संबंधी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मैनुअल (पांचवां संस्करण) के अनुसार मई 1993 से "गैर मौद्रिक स्वर्ण गतिविधियां" नामक मद अदृश्य मदों से हटा दी गई है । इन प्रविष्टियों को व्यापारिक माल के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- (4) वर्ष 1990-91 से रक्षा संबंधी आयात का मूल्य आयात (व्यापारिक-नामे) के अंतर्गत दर्ज किया गया है तथा ऐसे आयात को वित्तपोषित करनेवाले ऋण पूंजी खाते में "ऋण (भारत को बाह्य वाणिज्यिक उधार)" के अंतर्गत दर्शाए गए हैं । सामान्य मुद्रा क्षेत्रवाले रक्षा ऋण संबंधी ब्याज भुगतान निवेश आय नामे के अंतर्गत और मूल चुकौती "ऋण (भारत को बाह्य वाणिज्यिक उधार)" नामे के अंतर्गत दर्ज की जाती है । रुपया भुगतान क्षेत्र के मामले में ऋण के ब्याज का भुगतान और उसके मूलधन की चुकौती को एकसाथ मिलाकर पूंजी खाते में मद "रुपया ऋण चुकौती" के अंतर्गत अलग से दिखाया जाता है। यह भुगतान संतुलन संबंधी उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष :डॉ. सी. रंगराजन) की सिफारिश के अनुरूप है।

- (5) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के भुगतान संतुलन मैनुअल (5वां संस्करण) के प्रावधान के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार से खरीदा गया स्वर्ण भुगतान संतुलन की सांख्यिकी से अलग रखा गया है। अतः इससे पहले वर्षों के आंकड़ों को “अन्य पूंजीगत प्राप्तियां” तथा “विदेशी मुद्रा रिज़र्व” में यथोचित समायोजन करते हुए संशोधित कर दिया गया है। एसडीआर “एसडीआर आबंटन” मद को सारणी से निकाला गया है।
- (6) भुगतान संतुलन समाधान संबंधी तकनीकी समूह की रिपोर्ट तथा वाणिज्यिक व्यापार पर वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय की सिफ़ारिश के अनुसार विदेश से लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाए गए सोने-चांदी के आँकड़े आयात भुगतान के अंतर्गत शामिल किए गए हैं तथा उनका प्रति-प्रविष्टि 1992-93 से निजी अंतरण प्राप्तियों के अंतर्गत की गई है।
- (7) अं.मु. कोष के भुगतान संतुलन मैनुअल (5वां संस्करण) के अनुसार 1997-98 से ‘कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति’ मद को ‘आय’ शीर्ष में दर्शाया गया है; इसके पहले ‘कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति’ मद को ‘सेवा-विविध’ शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता था।
- (8) अप्रैल 1998 से संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा विदेशी मुद्रा की बिक्री और खरीद को सेवा में ‘यात्रा’ के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- (9) विनिमय दर : विदेशी मुद्रा के लेनदेन को जून 1972 तक सममूल्य/केंद्रीय दर पर रुपए में परिवर्तित कर दिया गया है और उसके बाद इनको लंदन बाज़ार में प्रचलित दर के आधार पर स्टर्लिंग के लिए बैंक के हाज़िर क्रय और विक्रय की औसत दर पर तथा गैर-स्टर्लिंग मुद्रा की मासिक औसत विनिमय दर पर रुपए में परिवर्तित किया गया है। मार्च 1993 से यह परिवर्तन विदेशी मुद्रा बाज़ार में अमरीकी डॉलर के लिए हाज़िर खरीद और बिक्री की औसत विनिमय दर पर और लंदन बाज़ार पर आधारित डॉलर से इतर मुद्रा की औसत मासिक विनिमय दर पर किया जाता है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

भुगतान संतुलन एक सांख्यिकीय विवरण है, जो विशिष्ट कालावधि के लिए शेष विश्व के साथ अर्थव्यवस्था के आर्थिक लेनदेनों का सुव्यवस्थित रूप से संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है।

वाणिज्यिक जमा मालों के निर्यात से संबंधित है जबकि **वाणिज्यिक नामे** मालों के आयात के द्योतक हैं।

यात्रा में अनिवासी द्वारा देश में उनके ठहरने के दौरान किए गए व्यय और विदेश में निवासी यात्रियों द्वारा किए गए व्यय शामिल हैं।

परिवहन में अंतरराष्ट्रीय परिवहन सेवाओं से संबंधित प्राप्तियों और भुगतानों का समावेश है।

बीमा में सभी प्रकार की बीमा सेवाओं से संबंधित प्राप्तियाँ और भुगतान एवं पुनः बीमा भी शामिल हैं।

सरकारी अन्यत्र अपरिगणित (जी.एन.आइ.ई) सरकार के ख़ाते में प्राप्तियों और भुगतानों, जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं, एवं दूतावास तथा राजनयिक मिशनों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालयों के रखरखाव के कारण प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित है।

विविध में संचार सेवाओं, निर्माण सेवाओं, साफ्टवेयर सेवाओं, तकनीकी जानकारी, रायल्टी आदि जैसी सभी अन्य सेवाओं के संबंध में प्राप्तियाँ और भुगतान शामिल हैं।

अंतरण (सरकारी, निजी) बिना किसी प्रतिकर के प्राप्त और भुगतान के द्योतक हैं।

निवेश आय लेनदेन ब्याज, लाभांश, लाभ के रूप में हैं तथा अन्य पूंजीगत लेनदेनों की सर्विसिंग के लिए हैं। निवेश आय प्राप्तियों में अनिवासियों को ऋणों पर प्राप्त ब्याज, विदेशी निवेश पर भारतीयों द्वारा प्राप्त लाभांश / अभिलाभ, विदेश में भारतीय एफडीआइ कम्पनियों के पुनर्निवेशित अर्जन, डिबेंचरों, अस्थायी

दर नोट (एफआरएन), वाणिज्यिक पत्र (सीपी), प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा ऋणों/निर्यात आगमों पर विदेश में रखी सावधि जमाराशियों एवं निधियों पर प्राप्त ब्याज, विदेशी सरकारों द्वारा करों की वापसी/ अनिवासियों द्वारा करों के भुगतान, भारिबैंक निवेश पर ब्याज/बट्टा अर्जन आदि शामिल हैं। निवेश आय भुगतान में अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज भुगतान, अनिवासियों से ऋणों पर ब्याज भुगतान, अनिवासी शेयरधारकों को अभिलाभ/लाभांश का भुगतान, एफडीआइ कम्पनियों के पुनर्निवेशित अर्जन, डिबेंचरों, अस्थायी दर नोटों, वाणिज्यिक पत्रों, सावधि जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान, विशेष आहरण अधिकार पर प्रभार आदि शामिल हैं।

विदेशी निवेश के दो घटक हैं - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) और संविभागगत निवेश।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वर्ष 1999-2000 तक भारत को और भारत द्वारा मुख्यतः इक्विटी पूँजी समाहित है। अंतरराष्ट्रीय उत्तम व्यवहारों के अनुरूप एफडीआइ का दायरा 2000-01 से बढ़ाकर उसमें इक्विटी पूँजी के अलावा पुनर्निवेशित अर्जन (एफडीआइ कम्पनियों के धारित अर्जन) और 'अन्य प्रत्यक्ष पूँजी' (संबद्ध संस्थाओं के मध्य अंतर-कंपनी ऋण लेनदेन) शामिल किए गए हैं। इक्विटी पूँजी के डेटा में निगमित निकायों की इक्विटी के अलावा अनिगमित संस्थाओं (मुख्यतः भारत में विदेशी बैंक शाखाओं तथा विदेश में परिचालित भारतीय बैंक शाखाओं) की इक्विटी शामिल है। अद्यतन वर्ष के पुनर्निवेशित अर्जनों पर डेटा का अनुमान पिछले दो वर्षों के औसत के रूप में लगाया गया है, चूँकि ये डेटा एक वर्ष के समयान्तर में उपलब्ध हैं। उक्त परिशोधन को ध्यान में रखकर, एफडीआइ डेटा, पिछले वर्षों के समान डेटा से मिलान योग्य नहीं हैं। भुगतान संतुलन (बीओपी) के संकलन के मानक व्यवहार के संदर्भ में, एफडीआइ डेटा के उक्त परिशोधन भारत की समग्र बीओपी स्थिति को प्रभावित नहीं करता क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार की अभिवृद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर भी, बीओपी की रचना में परिवर्तन हो सकता है। ये परिवर्तन निवेश आय, बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा भूलचूक से संबंधित हैं। पुनर्निवेशित आय के मामले में, चालू खाते में निवेश आय के तहत समान मात्रा की प्रति प्रविष्टि (नामे) होगी। 'अन्य पूँजी', जो एफडीआइ अन्तर्वाह के भाग के रूप में सूचित थी, को उसी राशि के द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार के तहत सूचित आंकड़ों से निकाला गया। विदेश में भारतीय कंपनियों द्वारा 'अन्य पूँजी' तथा अनिगमित निकायों की इक्विटी पूँजी वर्ष 2000-01 व 2001-02 की भूल-चूक में समायोजित हैं।

संविभागीय निवेश में प्रमुखतः एफआइआइ निवेश, भारतीय कंपनियों द्वारा जीडीआर/ एडीआर के जरिए और अपतटीय निधियों के माध्यम से जुटाई निधियां शामिल हैं। अब तक सूचित विदेशी निवेश के आंकड़े 2000-01 से इक्विटी पूँजी तथा संविभागीय निवेश के रूप में अलग किए गए।

बाह्य सहायता से तात्पर्य भारत द्वारा विभिन्न करारों के तहत अन्य विदेशी सरकारों को प्रदान की गयी सहायता एवं ऐसे ऋणों की चुकौती अभिप्रत है। भारत को बाह्य सहायता में भारत सरकार तथा अन्य सरकारों / अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बीच करारों के तहत प्राप्त बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण और भारत द्वारा ऐसे ऋणों की चुकौती शामिल हैं, पूर्ववर्ती 'रुपया क्षेत्र' देशों को चुकाए ऋण छोड़कर, जो रुपया ऋण चुकौती के तहत समाहित हैं।

वाणिज्यिक उधार में सभी मध्यावधि / दीर्घावधि ऋण शामिल हैं। भारत द्वारा वाणिज्यिक उधार विभिन्न देशों को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एग्जिम बैंक) द्वारा दिए गए ऋण और ऐसे ऋणों की चुकौती के द्योतक है। भारत को वाणिज्यिक उधार क्रेता के ऋण, आपूर्तिकर्ता के ऋण, अस्थायी दर वाले नोटों (एफआरएन), वाणिज्यिक पत्र (सीपी), बांडों, भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में जारी विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) को शामिल करते हुए ऋणों के आहरण / चुकौती के द्योतक हैं। इसमें भारत विकास बांड, (आइडीबी), रिसर्जेंट इंडिया बांड, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट (आइएमडी) भी शामिल हैं।

अल्पावधि ऋण एक वर्ष से कम परिपक्वतावाले ऋणों के संबंध में आहरण, उपयोग और चुकौती को निर्दिष्ट करता है।

बैंकिंग पूँजी के तीन घटक हैं: (क) वाणिज्य बैंकों (एडी) की विदेशी आस्तियाँ (ख) वाणिज्य बैंकों (एडी) की विदेशी देयताएँ तथा (ग) अन्य वाणिज्य बैंकों की 'विदेशी आस्तियाँ' हैं- (i) विदेशी मुद्रा धारिताएँ (ii) अनिवासी बैंकों को रुपया ओवरड्राफ्ट। वाणिज्य बैंकों की विदेशी देयताओं में

शामिल हैं- (i) अनिवासी जमाराशियाँ, जिसमें विभिन्न अनिवासी जमा योजनाओं की प्राप्तियाँ और मोचन तथा (ii) अनिवासी जमाराशियों से इतर देयताएँ, जिसमें अनिवासी बैंकों और सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को रुपया तथा विदेशी मुद्रा देयताएँ शामिल हैं। बैंकिंग पूंजी के तहत 'अन्य' में विदेशी केंद्रीय बैंकों के तथा भारि बैंक के साथ रखे गए आइबीआरडी, आइडीए, एडीबी, आइएफसी, आइएफएडी आदि जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के शेष में चलन साथ ही लन्दन और टोकियो में भारत के दूतावासों द्वारा धारित शेष में चलन शामिल हैं।

रुपया ऋण चुकौती में रुपया भुगतान क्षेत्र (आरपीए) के संबंध में सिविलियन और नॉन-सिविलियन ऋण खाते में मूलधन की चुकौती और उस पर ब्याज भुगतान शामिल है।

अन्य पूंजी में मुख्यतः निर्यात प्राप्तिओं में 'लीड्स' और 'लैग्स' (कस्टम डेटा तथा बैंकिंग चैनल के डेटा के बीच अंतर) शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य मद में विदेश में धारित निधियां, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भारत का अभिदान, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को कोटा भुगतान, शाखा / अनुषंगियों की हानियों की पूर्ति संबंधी विप्रेषण तथा अन्यत्र शामिल न किए गए अन्य पूंजी लेनदेनों की अवशिष्ट मद शामिल हैं।

आरक्षित निधियों में घटबढ़ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा आस्तियों में और भारत सरकार द्वारा धारित एसडीआर की शेष राशियों में परिवर्तन शामिल हैं। मूल्यांकन के कारण होनेवाले परिवर्तनों को अलग करने के बाद ये रिकार्ड किए जाते हैं। मूल्यांकन परिवर्तन इसलिए होते हैं कि विदेशी मुद्रा आस्तियाँ अमरीकी डॉलर में अभिव्यक्त होती हैं और ये प्रारक्षितों में धारित गैर-अमरीकी मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) की मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के प्रभाव को शामिल करते हैं।

सारणी सं. 42

1. स्वर्ण का मूल्यन माह के दौरान औसत लंदन बाजार मूल्य पर है।
2. एसडीआर को अमरीकी डॉलर में बदलवाना अंमुको (आइएमएफ) द्वारा जारी विनिमय दरों पर होता है।
3. विदेशी मुद्रा आस्तियों का अमरीकी डॉलर में परिवर्तन न्यूयार्क समापन विनिमय दरों पर सप्ताहांत में (सप्ताह के अंत के आँकड़ों के लिए) तथा माह के अंत में (माह के अंत के आँकड़ों के लिए) होता है।
4. विदेशी मुद्रा धारिताएँ रुपया-अमरीकी डॉलर भारि बैंक धारिता दरों पर रुपए में बदलवायी जाती हैं।
5. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित श्रृंखला स्थिति (आरटीपी)का समावेश अंतरराष्ट्रीय उत्तम संव्यवहारों से मेल खाने हेतु 2 अप्रैल 2004 से विदेशी मुद्रा भंडार में है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़ों को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरटीपी स्थिति को शामिल करने के लिए 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान परिशोधित किया गया है।

सारणी सं. 49

दिसंबर 2005 में वाप्रविद (रीर)/सांप्रविद (नीर) के 5 देश के सूचकांकों के स्थान पर 6 मुद्रा सूचकांक रखे गए। भारिबैंक के दिसंबर 2005 के बुलेटिन में रिफ्लेसमेंट की तर्कसंगतता एवं प्रणाली पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया गया है। 6 मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांकों को बनवाने हेतु संशोधन जारी है। यह संशोधन अप्रैल-मई 2006 के दौरान चीनी मुद्रास्फीति सूचकांकों में आकस्मिक उछाल के कारण जरूरी हो गया था। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पब्लिक डोमेन पर चीनी मुद्रास्फीति सूचकांक सहज उपलब्ध नहीं हैं। सांख्यिकी पर राष्ट्रीय ब्यूरो पब्लिक डोमेन में मासिक आधार पर केवल बिंदु-दर-बिंदु मुद्रास्फीति दर उपलब्ध कराता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1993-94 को आधार वर्ष मानकर मुद्रास्फीति दरों को हिसाब में लेते हुए मुद्रास्फीति सूचकांक रखे गए हैं। साथ ही, इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि जनवरी 1993 से दिसंबर 1995 तक की अवधि में चीन की मुद्रास्फीति दर निरंतर दो अंकीय बनी रही। चीनी मुद्रास्फीति सूचकांकों (आधार:1993-

94=100) की ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति के कारण अप्रैल 2006 में 6 मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के मूल्य में तीव्र गिरावट हुई। चीनी मुद्रास्फीति संख्या में अचानक उछाल के कारण वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में हुई गडबड़ को हटाने के लिए चीनी मुद्रास्फीति सूचकांकों की नई श्रृंखला 1990 को आधार वर्ष (ऐसा वर्ष जिसमें मुद्रास्फीति दरों में बहुत कम उतार-चढ़ाव था) मानकर शुरू की गई। परिणामस्वरूप, 6 मुद्रा वाप्रविद (आधार 1993-94=100) बनाने में सुविधा की दृष्टि से चीनी मुद्रास्फीति सूचकांकों की नई श्रृंखला का आधार वर्ष 1990 से बदलकर 1993-94 कर दिया गया।

सारणी सं. 51

- (क) भारत सरकार की 6 जुलाई 1982 की अधिसूचना सं. 10(45)/82-एसी(5) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (खंड 4 के उपखंड (क) को छोड़कर) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिए गए ऋण और अग्रिम तथा 11 जुलाई 1982 को बकाया राशि नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण और अग्रिम माने जाएंगे। नाबार्ड की स्थापना की तारीख अर्थात् 12 जुलाई 1982 से (i) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4)(क) के अंतर्गत सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर सामान्य बैंकिंग कारोबार के प्रयोजन के लिए तथा (ii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(2) (खख) के अंतर्गत शहरी सरकारी बैंकों की ओर से दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम नहीं देता। भा.रि. बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17 (4) (क) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को दिए गए ऋण और अग्रिम इस सारणी के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- (ख) नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 21, 22 और 24 की विभिन्न उप-धाराओं के अधीन अग्रिम दिए गए हैं। बकाया राशियाँ अवधि समाप्ति से संबंधित हैं।
- (1) इनमें अल्प वन उत्पाद के विपणन के लिए रु. 10 लाख की अग्रिम राशि शामिल है।

सारणी सं. 52

बकाया राशि अवधि समाप्ति से संबंधित हैं और इसमें देश की विभाजन-पूर्व देयताओं में भारत संघ का अंश शामिल है तथा चुकौतियों में भारतीय निवेशकर्ताओं की विभाजन-पूर्व की चुकौतियाँ शामिल हैं।

- (1) प्राप्ति और बकाया राशियों में जमाकर्ताओं के खाते में समय-समय पर जमा किया गया ब्याज भी शामिल है। बकाया राशियों में निष्क्रिय बचत बैंक खातों के अंतर्गत शेषराशियाँ भी शामिल हैं।
- (2) ये 5 वर्षीय, 10 वर्षीय और 15 वर्षीय संचयी मीयादी जमाराशियों से संबंधित हैं।
- (3) लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) के आंकड़े डाक-घर के लेनदेनों से संबंधित हैं तथा बैंकों द्वारा संगृहीत पीपीएफ शामिल नहीं है।
- (4) केवल सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्रों से संबंधित हैं।
- (5) इनमें सार्वजनिक भविष्य निधि शामिल नहीं हैं।
- (6) गलत वर्गीकरण के शुद्धिकरण के कारण आंकड़े ऋणात्मक हैं।

सारणी सं. 53

राशियाँ अंकित मूल्य के अनुसार हैं।

- (1) मूल्य आधारित नीलामियों पर पुनः जारी प्रतिभूतियों को दर्शाती हैं।
- (2) मूल्य आधारित नीलामियों के जरिए नए निर्गम।
- (3) 23 मई 2000 को टैप निर्गम बंद।

- (4) प्रतिफल आधारित नीलामियां।
- (5) भारतीय रिजर्व बैंक के पास निजी स्थानन।
- (6) आधार दर के ऊपर मार्जिन दायरा (स्प्रेड) प्रथम छह माह के लिए कूपन दर 5.09% है।
- (7) आधार दर के ऊपर मार्जिन दायरा (स्प्रेड) प्रथम छह माह के लिए कूपन दर 7.01% है।
- (8) आधार दर के ऊपर मार्जिन दायरा (स्प्रेड) प्रथम छह माह के लिए कूपन दर 6.98% है।
- (9) एकसमान मूल्य नीलामी।
- (10) गैर प्रतियोगी बोली लगानेवालों को औसत आय/प्रतियोगी बोली मूल्य पर आबंटन।
- (11) बाह-बैंक नीलामी में पुनः खरीदी गई 19 प्रतिभूतियों के समकक्ष अंकित मूल्य हेतु पुनः जारी चार प्रतिभूतियाँ।
- (12) बाजार स्थिरीकरण योजना।